



Neutral Citation No.-2026:AHC:10910

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-1176 वर्ष 2026

शाहिद आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राम श्याम शंकर पांडे, सुबोध पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुबोध पांडे, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार मिश्रा को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक अपराध संख्या-182 वर्ष 2025 में धारा 103(1), 61(2), 3(5) बी.एन.एस. (पुरानी धारा 302, 120-बी, 34 भ०द०वि०), थाना-कुंदरकी, जिला: मुरादाबाद के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं था, बल्कि सह-आरोपी व्यक्ति खालिद, जिसका नाम प्राथमिकी में था, को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-38895 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 13.11.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर बढा दिया गया है। जांच के दौरान सूचनाकर्ता के पूरक बयान में आवेदक का नाम सामने आया है।
5. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक का मामला सह-आरोपी व्यक्ति खालिद के लिए बेहतर स्थिति में है। आवेदक 14.6.2025 से जेल में बंद है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त की तुलना में बेहतर है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने का भी हकदार है।

6. जमानत के लिए प्रार्थना का अपर शासकीय अधिवक्ता हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता और आवेदक के किसी आपराधिक इतिहास के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, और पारस राम विश्वोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीOR/22410/2021 के मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और नान्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1993 क्रि.एल.जे. 938 के साथ-साथ सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 825 के मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मामले में पारित इस न्यायालय के निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए मैं एक अन्य रिपोर्ट के साथ, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन को समानता के आधार पर अनुमति दी जाती है।

8. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- शाहिद को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 16, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)